## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

**1—अपील / एल.आर / 3280 / 2005 / बॉसवाड़ा**

1—श्री राम जी पिता चोखा भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।
2—श्रीमती बदा पत्नि रामजी भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।

अपीलार्थीगण

**बनाम**

1— श्री चीमन पिता पन्ना भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।

रेस्पोडेण्ट्स

**2—अपील / एल.आर / 3281 / 2005 / बॉसवाड़ा**

1—श्री शामजी पिता चोखा भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।
2—श्रीमती कस्तूरी पत्नि रामजी भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।

अपीलार्थीगण

**बनाम**

1— श्री चीमन पिता पन्ना भील जाति भील निवासी पण्डवाललूजा पटवार हल्का झलकीया भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सज्जनगढ़ तहसील कुशलगढ़।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कुशलगढ़ जिला बॉसवाड़ा।

रेस्पोडेण्ट्स

**एकल पीठ**
**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर , सदस्य**

**उपस्थितः—**
श्री एस.के.शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

**निर्णय**

दिनांक— 28—12—2022

ये दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या

132/2003 एवं अपील संख्या 133/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18–3–2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान हैं । अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे ।

2– दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 चिमन द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बॉसवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी को ग्राम पण्डवाललुंज़ा में आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 13 बिस्वा लगान 0.33 रूपये का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा दिनांक 29–5–2002 को किया गया जिसके विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवंटन कपटपूर्वक एवं दुर्व्यपदेशनवश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन से पूर्व मौके की जांच नहीं करवाई। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक नहीं है तथा आवंटन की पात्रता नहीं रखते है जबकि उक्त भूमि पर अप्रार्थी का 20 वर्षो से कब्जा है । इस पर अप्रार्थी की मक्का तुवर व उडद की फसल खडी है तथा उस पर मकान बने हैं। आवंटन के बाद प्रार्थीगण को कभी कब्जा सुपुर्द नहीं किया । प्रार्थी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर एवं दूसरे वर्ष में शेष भाग पर खेती नहीं की है न ही साक्ष्य पेश किया है । आवंटन आदेश नियम विरूद्व है । प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नि एवं एक ही परिवार के हैं इन्हें संयुक्त रूप से आवंटन किया गया है । वह नियमों के प्रतिकूल है । अतः अपीलाण्ट/प्रार्थी रामजी, श्रीमति बदा, श्रीशामजी, श्रीमति कस्तूरी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 29–5–2002 कपटपूर्वक एवं दुर्व्यपदेशन एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र का अपीलाण्ट द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट को आवंटित की गई भूमि में न तो प्रार्थी का कब्जा है न ही कोई मकान है। आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो नियमानुसार है एवं कब्जा भी सुर्पुद किया गया है एवं वह एक भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आते हैं एवं आवंटन संयुक्त रूप से किया जाना कहीं वर्जित नहीं है । नियम 14(4) के तहत रेस्पोडेण्ट को आवंटन निरस्त कराने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे । विद्वान जिला कलेक्टर, बॉसवाड़ा ने रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14–7–2003 को अपीलार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। विद्वान जिला कलेक्टर, बॉसवाड़ा के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18–3–2005 द्वारा अपीलें खारिज कर

दी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18–3–2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये दो अलग–अलग अपील प्रस्तुत की गई है।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील इस आधार पर निरस्त की गई कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29–5–2002 को जो आवंटन किया गया, उस बैठक के कोरम में तीन सदस्य उपस्थित नहीं होने से त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर आंवटन को निरस्त योग्य था। इस संबंध में आवंटन का रजिस्टर न तो न्यायालय में मंगवाया गया न ही उसका अवलोकन किया गया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को आवंटन एवं अपील निरस्त करने के संबंध में किसी प्रकार सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलार्थी का आवंटन कोरम के अभाव में निरस्त किया गया तो उसे सूचना देकर निर्णय पारित करना चाहिए था। आवंटन के विरूद्ध जो शिकायतकर्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है उसमें ऐसा कोई आधार नहीं लिया था । प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि सलाहकार समिति का गठन व आवंटन व आवंटन में सदस्यता की कोरम पूर्ण नहीं होने के संबंध में जांच करवाते तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते कि संबंधित दस्तावेजों को विशेषकर आवंटन रजिस्टर व अन्य सूचना पत्र नियम 13 आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रिया के समस्त रिकार्ड मंगवाने के बाद ही कोरम के संबंध में अपना अभिप्राय इस बाबत देते जिसके बिना जो अभिप्राय दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर अपीलार्थी का आवंटन बहाल रखा जावे ।

4– रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने आवंटन के समय भूमिहीन कृषक नहीं था और आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में विहित प्रावधानों के तहत कोरम का अभाव था, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को किया गया आंवटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया है, जिसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी अपील को विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय हैं, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जावें ।

5– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया ।

6— हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा दिनांक 29—5—2002 को अपीलाण्ट को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था । उक्त आवंटन के 5 माह पश्चात् ही रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने बाबत एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन ) नियम 1970 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर, बांसवाड़ा को प्रस्तुत किया गया कि उपखण्ड अधिकारी ने नियम 13 के अनुसार समिति गठित नहीं की एवं नियम 13 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत अवैधानिक समिति की सलाह पर किया गया आवंटन गैर कानूनी है व आवंटन के लिए कोई उद्घोषणा भी जारी नहीं हुई। आवंटन आदेश कपट एवं दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया है एवं आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की है एवं आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है। उनके स्वयं के खाते में 15 बीघा से ज्यादा भूमि है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना—पत्र का जबाव भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया । अतिरिक्त कलेक्टर, बांसवाड़ा द्वारा उभय पक्षों को सुनकर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलाण्ट के आवंटन को अपने निर्णय दिनांक 14—7—2003 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य मानकर अपील को दिनांक 18—3—2005 को खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि आवंटन कार्यवाही पर केवल उपखण्ड अधिकारी व सरपंच के हस्ताक्षर हैं तहसीलदार, कुशलगढ़ आवंटन के समय उपस्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी जो आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य नहीं होता है वह संयोजक होता है। उसके अलावा 3 सदस्यों की अभिशंषा पर ही आवंटन किया जा सकता है । इस प्रकार आवंटन कमेटी का कोरम पूरा नहीं था। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दो सदस्य उपस्थित थे। एक स्वयं उपखण्ड अधिकारी दूसरा सरंपच, ग्राम खुशचतरा तथा तहसीलदार उपस्थित नहीं थे । उक्त कमेटी द्वारा अपीलार्थी शामजी व रामजी को खसरा नंबर 278 रकबा 13 बिस्वा लगान 0.33 रूपये का आवंटन दिनांक 29—5—2002 को किया गया । उक्त बैठक के आयोजन में भी दो सदस्यों के हस्ताक्षर है । जबकि कमेटी के तीन सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है । इस संबंध में 1963 आर.आर.डी. पृष्ठ 652 में निर्णित किया गया कि जहॉ पर आवंटन सलाहकार समिति

के दो सदस्य और उपखण्ड अधिकारी उपस्थित रहें उसे पूर्ण कोरम नहीं माना गया अर्थात उपखण्ड अधिकारी को (Excluded कर) तीन अन्य सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपखण्ड अधिकारी सहित दो के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाण्ट को आवंटन किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक रूप से खारिज किया है। इस संबंध में आवंटन नियम 1970 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि –

**13. Allotment to be in consultation with Advisory Committee.** - (1) All allotment shall be made by the Sub-Divisional Officer in consultation with an Advisory Committee consisting of-
(i) the member of the Rajasthan Legislative Assembly in whose constituency the land is situated;
(ii) the Pradhan of the Panchayat Samiti having jurisdiction;
(iii) the Sarpanch of the Panchayat having jurisdiction;
(iv) the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti having jurisdiction;
(v) the Tehsildar of the Tehsil having jurisdiction;
(vi) a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by the Panchayat Samiti from amongst its members; and
(vii) a person to be nominated by the State Government in areas in which such nomination is considered necessary in public interest:

Provided that the Sub-Divisional Officer may on receipt of application from a released Sagri who is a landless agriculturist allot land to him without consultation with the Advisory Committee after making such enquiries as he deems fit:

Provided further that where a member of the advisory committee has an interest in an applicant as his relation or otherwise such member shall not participate in the meeting of the committee.

(2) The Sub-Divisional Officer shall give at least one week's notice of the date,time and place of the meeting to the members of the advisory Committee. The notice shall be accompanied by a copy of the list of unoccupied Government lands proposed to be allotted at the said meeting. This list shall contain the particulars required to be given in columns 1 to 6 of form 1.

(3) The notice of the meeting shall be served in the manner prescribed in the Rajasthan Revenue Courts Manual Part 1 for the service of process:

Provided that if the service is not possible through a process server, it shall be sent by post 'Under Postal Certificate' or by 'Registered Post'.

(3-A) The quorum for constituting the meeting of Advisory Committee shall be three members of whom one shall be from clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (1):

Provided that if a meeting of the Advisory Committee is adjourned for the want of quorum, the quorum for the adjourned meeting shall be two members of whom one shall be from clause (i), (ii) or (iii) of sub-rule (1).

उक्त नियमों से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आवंटन के समय आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में समुचित कोरम का अभाव था । अतः आवंटन की सिफारिश विधि विरूद्ध होने से आवंटन भी अवैध था ।

इसी प्रकार उक्त नियमों के नियम 14(8)में निम्न प्रावधान है –

(8) The land shall be liable to be resumed by the State Government without, payment of compensation if-

(a) it is not brought under cultivation strictly in accordance with the condition of allotment and it is not properly utilized;

(b) it is sub let or transferred in contravention of the provision of the Tenancy Act applicable to Gair Khatedar tenants;

(c) it is found that the allottee was not a landless agriculturist;

(d) the allottee makes default in the timely payment of the price referred to in clause 5 of the rule and/or the annual rent; or

(e) the allottee makes constructions on the land in contravention of the allotment rules.

इस संबंध में इन नियमों के नियम 14 में निम्न प्रावधान है–

**14- Conditions of Allotment-**

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

इस संबंध में आर.बी.जे. 2006(13) पृष्ठ 749 के निर्णय के Para 6 (8) में यह भी मत व्यक्त किया है कि–

"Hon'ble High Court has decided a principle that allotment obtained through fraud, misrepresentation and concealment of fact can be cancelled at any time even if khatedari rights have been obtained. This authority of Hon,ble High Court as reported in RRD 2002 page 01 is directly relevant in this case because this is a clear cut case of fraud and misrepresentation and concealment of facts and surprisingly this fraud is continuing even today and the respondent has failed to give his address even at the level of Board of Revenue."

8– उक्त प्रावधानों के अनुसार ऐसा आवंटन, जो कपट से अथवा तथ्य छुपाकर दुर्व्यपदेशन से अथवा नियम विरूद्ध प्राप्त किया गया हो अथवा आवंटी द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उलंघन किया गया हो, को जिला कलेक्टर निरस्त करने हेतु सक्षम है। प्रश्नगत आवंटन आवंटी को तथ्य छुपाकर दुर्व्यपदेशन से नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है। यह आवंटन उक्त नियमों के नियम 14(8)(स) के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि आंवटी के खाते में पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण करने से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में भी नहीं आता है क्योंकि जमाबन्दी संवत 2052 से 2055 में अपीलार्थी के पिता चोखा के नाम खसरा नंबर 276 की 16 बिस्वा भूमि खाते में थी एवं अपीलार्थी आपस में भाई–भाई व व पति–पत्नि है। इसलिए पैतृक भूमि भी उनके हिस्से में है, इस कारण वे भूमिहीन कृषक नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । हालांकि इस

आवंटन के निरस्त होने से इस भूमि पर रेस्पोडेण्ट के किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते है। फिर भी उसके द्वारा शिकायत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

**इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998** उनवानी **गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –**

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

**ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

Second appeal -Concurrent findings of law and facts-In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपीलें सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

9– उक्त विवेचन के आधार पर ये दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)**
**सदस्य**